राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(24)एमई / ग्रुप–1 / 2021 जयपुर, दिनांक : 4/1/22

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा डॉ. नेहा अग्रवाल (माइक्रोबायोलोजी विशिष्ठता, मेरिट संख्या–03, वर्ग–GE,WE,RG) को वरिष्ठ प्रदर्शक, माइक्रोबायोलोजी के पद पर नवनियुक्ति प्रदान कर, मेडिकल कॉलेज, अजमेर में पदस्थापित किया गया था तथा कार्यग्रहण हेतु आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि दी गई। डॉ. अग्रवाल के द्वारा निर्धारित कार्यग्रहण समयावधि 15 दिवस में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर विभागीय समसंख्यक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 08.12.2021 के द्वारा डॉ. अग्रवाल को सूचित किया गया कि नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में मेडिकल कॉलेज, अजमेर में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर, इस विभाग को अवगत करावे। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगें। जिसके क्रम में डॉ. अग्रवाल द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक, माइक्रोबायोलोजी के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा डॉ. नेहा अग्रवाल का वरिष्ठ प्रदर्शक, माइक्रोबायोलोजी के पद हेतु जारी किया गया नियुक्ति आदेश एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.–7(38)(1–41)भर्ती 'ख' / गोपनीय / 2018–19 / 543 दिनांक 23.07.2021 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
5. ए.सी.पी. चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ. नेहा अग्रवाल पुत्री श्री राधेश्याम अग्रवाल, 135, ज्ञान विहार, ज्ञान वाटिका के पास, अजमेर (राज.)– 305001 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।

4/1/22
उप शासन सचिव